भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3984
27 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

स्टेनलेस-स्टील उत्पाद उद्योग के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम

3984. **श्री जग्गेश:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि घरेलू स्टेनलेस स्टील क्षेत्र ने भारतीय बाजार में चीन से स्टेनलेस स्टील उत्पादों की डंपिग की समस्या से निपटने हेतु सरकार से सहायता का अनुरोध किया है;

(ख) क्या सरकार को उद्योग जगत से उत्पादन लागत कम करने के लिए आयातित स्क्रैप और फेरो अलॉय पर सीमा शुल्क हटाने की मांग के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या स्टेनलेस स्टील उद्योग ने कच्चे माल की पर्याप्त घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार से क्रोमियम को महत्वपूर्ण खनिज के रूप में वर्गीकृत करने का आग्रह किया है; और

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बढ़ते आयात तथा पश्चिमी बाजारों में व्यापारिक प्रतिबंधों का भारत के स्टेनलेस स्टील उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (घ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार देश में इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। आयात और निर्यात के संबंध में निर्णय इस्पात कंपनियों द्वारा प्रौद्यो-वाणिज्यिक विचारों और बाजार की गतिशीलता के आधार पर लिए जाते हैं।

विगत तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान तैयार इस्पात के निर्यात और आयात का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	**तैयार इस्पात व्यापार ('000 टन में)**	
	निर्यात	**आयात**
2022-23	6716	6022
2023-24	7487	8320
2024-25	4858	9551
अप्रैल-फरवरी 2025-26*	6017	5621
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी); *अनंतिम		

जारी.........2/

सरकार ने घरेलू उत्पादकों की सुरक्षा हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

केंद्रीय बजट 2026-27 में, घरेलू विनिर्माताओं का समर्थन करने और घरेलू इस्पात विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए :-

क. फेरो-निकेल पर शून्य मूलभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) यथावत रखा गया है।

ख. कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड (सीआरजीओ) स्टील के विनिर्माण के लिए उपयोग होने वाले फेरस स्क्रैप, मैग्नीशियम ऑक्साइड (एमजीओ) कोटेड कोल्ड रोल्ड स्टील कॉइल और निर्दिष्ट वस्तुओं पर मूलभूत सीमा शुल्क छूट दिनांक 31.03.2028 तक बढ़ा दी गई है।

कुछ इस्पात उत्पादों जैसे लौह, मिश्रधातु या गैर-मिश्रधातु इस्पात (कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील को छोड़कर) के सीमलेस ट्यूब, पाइप और होलो प्रोफाइल (चीन पीआर से), इलेक्ट्रो-गैल्वेनाइज्ड स्टील (कोरिया आरपी, जापान और सिंगापुर से), स्टेनलेस स्टील के सीमलेस ट्यूब और पाइप (चीन पीआर से), वेल्डेड स्टेनलेस स्टील के पाइप और ट्यूब (वियतनाम व थाईलैंड से), मिश्रधातु या गैर-मिश्रधातु इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद (वियतनाम से), कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलैक्ट्रीकल स्टील (चीन पीआर से) से संबंधित पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) उपाय वर्तमान में लागू हैं।

सरकार ने घरेलू उद्योग की ओर से इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन (आईएसएसडीए) द्वारा दायर आवेदन के आधार पर चीन, इंडोनेशिया और वियतनाम से आयातित या निर्यातित "स्टेनलेस स्टील 300 और 400 श्रृंखला के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की है।

*****